



RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY
Akelgarh Rawatbhata Road, Kota-324010 (Raj.)

क्र०:रातवि/अका०/एफ(17)Aff. Fee Rules/बोम-27/17/1701-10

दिनांक 29.05.2017

कार्यालय आदेश

27वीं प्रबंध मण्डल बैठक दि० 11.04.2017 के एजेण्डा क्र० 27.5 से 16वीं वित्त समिति के टेबिल कार्यसूची बिन्दु 16.2 के अनुमोदनापरान्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नईदिल्ली की सत्र 2017-18 की Approval Process Handbook के चेप्टर 2 के बिन्दु सं० 5.3 में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता (Intake) का दूसरे पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में समायोजन (Merger) किये जाने पर निम्नांकित शुल्क राशि वसूल किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा जारी की जाती है -

Particular	Approved
जिस पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता (Intake) का (Merger) किया जा रहा है (i.e. closure)	Equivalent to NOC for Closure Fee Rs.50,000/- per programme.
जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता (Intake) का (Merger) किया जावेगा (i.e. Increase in Intake)	Equivalent to Affiliation Fee Rs.40,000/- applicable for variation in intake in existing programme up to 30 seats or fractions thereof.


सत्र 2017-18 हेतु सम्बद्धता शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 31.12.2016 समाप्त होने से, सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों को सत्र 2017-18 हेतु उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत समायोजन की स्थिति में राशि के भुगतान को सम्बद्धता नियमों में वर्णित पेनल्टी प्रावधानों से मुक्त रखा जावेगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

हस्ता०
(प्रो. एच.डी. चारण)
अधिष्ठाता, अकादमिक अफेयर्स

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय
2. संभागीय आयुक्त-प्रतिनिधि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राज० सरकार जयपुर
4. प्रति कुलपति
5. निजी सहायक, कुलसचिव
6. वित्त नियंत्रक
7. परीक्षा नियंत्रक
8. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान
9. वेबमास्टर
10. गार्ड फाईल


(प्रो. एच.डी. चारण)
अधिष्ठाता, अकादमिक अफेयर्स